न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :— 83 / 2024

प्रार्थीः—

मांगाराम पुत्र भीमाराम जाति प्रजापत निवासी काठाड़ी
तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री गणपतसिंह गोलिया
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—02.08.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 233, 28 व 33 रकबा क्रमशः 01.6996, 0.7689 व 01.1979 हैक्टेयर ग्राम काठाड़ी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम मांगाराम पुत्र भीमाराम ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम मांगाराम पुत्र भीमाराम के स्थान पर 'मांगीलाल पुत्र भीमा' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ. / 2024/1141 दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता [illegible], विद्युत बिल आदि प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.08.17 10:31:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम मांगाराम पुत्र भीमाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता स्व. भीमाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा त्रुटिवश नाम मांगीलाल पुत्र भीमा लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं

राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, विद्युत बिल आदि दस्तावेजात में उनका नाम मांगाराम पुत्र भीमाराम दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र भीमा दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगाराम पुत्र भीमाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम काठाड़ी तहसील सिवाना की खसरा संख्यां 233, 28 व 33 रकबा कमशः 01.6996, 0.7689 व 01.1979 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'मांगीलाल पुत्र भीमा' के स्थान पर 'मांगाराम पुत्र भीमाराम' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.08.17 10:31:14 IST
Reason: SelfAttested